In the Court of Addl. Sessions Judge-II, Rosera(Samastipur)
S.T. No. 164/22+165/22+22/22
C.I.S. No.-34/2022

23.11.2023 सभी चार अभियुक्तों में से एक की ओर से हाजिरी तथा तीन की ओर से प्रतिनिधित्व आवेदन दाखिल किया गया, जिसे मात्र आज के लिए स्वीकृत किया जाता है।

अभिलेख आज आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। बचाव पक्ष दिनेश कुमार सिंह की ओर से धारा–227 द0प्र0सं0 के अंतर्गत आवेदन दाखिल कर विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि विभूतिपुर थाना कांड सं0–169/20 अज्ञात के विरूद्ध प्राथमिकी धारा–363, 365 भा0द0वि0 में दर्ज हुआ। अनुसंधान के दौरान अनुसंधानकर्ता ने आवेदक बचाव पक्ष को अभियुक्त के रूप में आरोपित किया तथा अभियुक्त के विरूद्ध आरोप–पत्र धारा–363, 365, 120बी के अंतर्गत समर्पित किया गया, जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोप–पत्र में अंकित धारा के अंतर्गत संज्ञान लिया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध वाद दैनिकी में साक्षियों के द्वारा बयान देते हुए, आरोपित धारा का समर्थन किया गया है। विद्वान अधिवक्ता आगे कथन करते हैं कि सूचक के द्वारा आवेदन में अंकित अभियुक्त के विरूद्ध अज्ञात रूप में मामला को प्रस्तुत किया गया है, इससे स्पष्ट है कि सूचक को घटना के संदर्भ में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। साक्षी संख्या–02 सूचिका की सास, साक्षी सं0–03 सूचिका के ससुर, साक्षी सं0–04 सूचिका तथा पीड़िता की पुत्री हैं। इन सभी साक्षियों जो सभी घर के सदस्य हैं, जिन्हें आरोपितों के विरूद्ध लगाए गए कथित आरोपों की कोई जानकारी नहीं है, अन्यथा प्राथमिकी में ही आरोपित नामजद होता। साक्षी सं0–05 एवं साक्षी सं0–06 के संबंध में वाद–दैनिकी के कंडिका–67 में दर्ज किया कि अनुसंधानक ने दोनों नामितों को थाना परिसर लाने के लिए ग्राम शिवनाथपुर समय 11:50 बजे पहुंचा, तथा दोनों को 15:30 बजे थाना परिसार लाया। थाना से विशुनपुर की दूरी महज दो किलोमीटर है, यहीं से अभियुक्तों के विरूद्ध अनुसंधानकर्ता ने स्थानीय राजनीति के तहत षडयंत्र प्रारंभ कर दिया। दोनों साक्षियों से अनुसंधानकर्ता दाबव डालकर गलत बयान दर्ज कर हस्ताक्षर लिए, दोनों साक्षियों का स्वीकारोक्ति बयान भी परिपक्व नहीं है कि घटना का चश्मदीद साक्षी हो, वरन परिस्थितिजन्य साक्ष्य बनाने का प्रयास अनुसंधानकर्ता ने की। वाद–दैनिकी के कंडिका–71 में साक्षी दीपक कुमार का अभिकथन दर्ज है, जिसमें बताया गया कि पैक्स गोदाम पर दिनेश कुमार सिंह और पप्पू सिंह आते थे। मैं और अभिषेक उनलोगों के कहने पर रूम खोल देते थे और चखना–पानी आदि लाकर देते थे। वहां पर राजनीति एवं कई तरह की बातें होती थी। इस घटना के लगभग 01–1.5 माह पूर्व शाम को पैक्स गोदाम पर दारू पीने के बाद पप्पू सिंह और घनश्याम सिंह में तीखी नोकझोक हुई, जिसके बाद पप्पू ने घनश्याम को दो–चार फैट मारा। इस तथ्यों से बचाव पक्ष का अपराध से क्या संबंध है? संपूर्ण केस के दैनिकी में कुछ भी नहीं है। वाद–दैनिकी इस तथ्यों से बचाव पक्ष के विरूद्ध आरोप नहीं बनता है। आरोप–पत्र निराधार, बेबुनियाद है, तथा साक्ष्य का पूर्ण रूप से अभाव

लगातार.....

लगातार

23.11.2023 है और अपराधक को आकर्षित नहीं करता है। अंत में विद्वान अधिवक्ता इस आवेदन में नामांकित अभियुक्त को उन्मोचित किये जाने का निवेदन करते हैं।

इसके विरूद्ध अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक निवेदन करते हैं कि प्रस्तुत मामले में सफाई पक्ष के द्वारा प्रस्तुत किया गया आवेदन कानून के दृष्टिकोण से पोषणीय नहीं है। अभियुक्तगण के विरूद्ध कांड–दैनिकी एवं आरोप–पत्र में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष द्वारा दाखिल किया गया आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामला सूचक के द्वारा धारा–363 एवं 365 भा0द0वि0 के अंतर्गत अज्ञात लोगों के विरूद्ध दाखिल किया गया। अनुसंधानकर्ता के द्वारा अनुसंधान पश्चात् अभियुक्त के विरूद्ध धारा–363, 365 एवं 120बी/34 के अंतर्गत आरोप–पत्र समर्पित किया गया, तथा वाद में अनुसंधाकनर्ता द्वारा पूरक आरोप–पत्र धारा–302 एवं 201/34 के अंतर्गत समर्पित किया गया, जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूव पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए, धारा–363, 365, 120बी, 302, 201/34 के अंतर्गत संज्ञान लिया गया। अभियुक्त के विरूद्ध औपचारिक प्राथमिकी वाद–दैनिकी में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। जहां तक बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत मामले के संदर्भ में कोई साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। इस संदर्भ में अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सूचक द्वारा प्रस्तुत किये गए मामले के संदर्भ में, अनुसंधानकर्ता के द्वारा पर्याप्त अनुसंधान करने के पश्चात् वाद–दैनिकी में अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए, आरोप–पत्र समर्पित किया गया है। जिसके आधार पर न्यायालय द्वार अभियुक्त के विरूद्ध संज्ञान लिया गया है। इस संदर्भ में, सफाई पक्ष के द्वारा प्रस्तुत किए गये आवेदन वाद के वर्तमान परिस्थिति में पोषणीय नहीं है। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष की ओर से दाखिल किए गए आवेदन को खारिज किया जाता है और अभिलेख को अरोप गठन हेतु निश्चित किया जाता है। अभियुक्तगण को निर्देश दिया जाता है कि अगली तिथि को सदेह उपस्थित रहें, अन्यथा बंध–पत्र खंडित कर दिया जाएगा।

दिनांक– 14.12.2023 आरोप गठन।

लेखापित

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय।

लगातार.....